छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24'** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 5.1 के उप बिन्दु क्रमांक–(1) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(1) एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में भूमि औद्योगिक इकाई/कंपनी के नाम से होना अनिवार्य है।

''परंतु, निजी भूमि पट्टे (किराये पर) के प्रकरणों में पट्टे (किराये पर) की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष के लिए इकाई के नाम अनिवार्य होगा।''

(दो) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 5.1 के उप बिन्दु क्रमांक–(2) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(2) शेड–भवन – कंडिका 1 की भूमि पर नवीन शेड एवं भवन निर्माण किया गया हो।

'परंतु, शेड/भवन पट्टे (किराये पर) लिये जाने के प्रकरणों में पट्टे (किराये पर) की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष के लिए इकाई के नाम पर पट्टे (किराये पर) लिया जाना अनिवार्य होगा।''

(तीन) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(7) ''विद्यमान उद्योग के विस्तार'' से आशय ऐसे उद्योगों से है जिन्होंने नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेशित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश किया हो, जिससे उद्योग विभाग में पंजीकृत क्षमता या औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती हो इसके अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को अथवा उसके पश्चात् से 31 अक्टूबर, 2024 के मध्य हो। ''विस्तारीकरण'' की प्रक्रिया प्रारंभ करने के

पूर्व विद्यमान इकाई को सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया हो) इस बाबत् सूचना देकर विस्तार हेतु प्रस्तावित निवेश की निर्धारित मात्रा के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक के पश्चात् नवीन उद्योग स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाईयों को उनके उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने, सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत नवीन उद्योग में विस्तार करने पर विस्तार से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों की इस नीति में घोषित अधिकतम सीमा के अधीन पात्रता होगी, यदि उक्तानुसार पैरा में अंकित निवेश, रोजगार तथा उत्पादन संबंधी शर्तों की पूर्ति होती हो।

(चार) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 8 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(8) ***अ.(1) "सूक्ष्म उद्योग"*** *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 25 लाख से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।*

अ.(2) "लघु उद्योग" *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में रू. 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो।*

ब.(1) "सूक्ष्म सेवा उद्यम" *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 10 लाख से अधिक का निवेष नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं सेवा प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।*

ब.(2) "लघु सेवा उद्यम" *से आशय है ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 2 करोड़ से अधिक का निवेष नहीं होता है तथा "उद्यम आकांक्षा" एवं सेवा प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो ।*

(पांच) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 9 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(9) ***अ. "मध्यम उद्योग"*** *से आशय ऐसे उद्योगों से है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में रू. 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा औद्योगिक इकाई ने यथास्थिति उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./ आशय पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित हो।*

ब. "मध्यम सेवा उद्यम" *से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा उपस्कर में रू. 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उद्यम आकांक्षा एवं सेवा गतिविधि प्रारंभ किए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा गतिविधि प्रारंभ किए जाने का प्रमाण–पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो।*

(छः) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 10 में वर्तमान प्रविष्टी **"वृहद उद्योग" की परिभाषा** के पश्चात निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जावे अर्थात :–

*(10) **"वृहद सेवा उद्यम"** से आशय ऐसे उद्यम से है जिसमें मध्यम सेवा उद्यम हेतु निर्धारित पूंजी निवेश की सीमा से अधिक पूंजी निवेश किया गया है, एवं स्थायी पूंजी निवेश रू. . 100 करोड़ तक हो तथा सेवा गतिवधि प्रारंभ करने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा गतिविधि प्रांरभ किये जाने का प्रमाण पत्र धारित हो।*

(सात) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 11 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(11) "मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने 100 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु 1000 करोड़ रूपये तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो। इस हेतु उनके पक्ष में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आई.आई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र जारी किया गया हो एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की स्थिति में राज्य के उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी किया गया हो।

*"मेगा प्रोजेक्ट" की परिभाषा के तहत दी गई **तालिका के अनुक्रमांक–4 पर दर्शित श्रेणी 'टेक्सटाईल" के लिये न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 5.00 करोड़ के स्थान पर रू. 10.00 करोड़ पढ़ा जावे।***

(आठ) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 18 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(18) "स्थायी पूंजी निवेश" से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का प्रतिस्थापन/शवलीकरण/ विस्तारीकरण (जो लागू हो) हेतु भूमि/भूमि–विकास, शेड–भवन निर्माण, नवीन प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण पर किये गये निवेश।

विद्यमान उद्योगों का प्रतिस्थापन/ शवलीकरण/ विस्तारीकरण की पूर्वानुमति दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में छः माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम के प्रकरणों में यह अवधि 12 माह, वृहद उद्योगों हेतु अठ्ठारह माह एवं मेगा व अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु चौबीस माह होगी।

(नौ) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 33 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*(33) **"शवलीकरण"** से आशय ऐसे विद्यमान उद्योग से है जो इस नीति के नियत दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है बशर्ते विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 % किया हो तथा कुल रोजगार में भी 10 % की*

वृद्धि हुई हो। "शवलीकरण" की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विद्यमान इकाई को अनिवार्यतः सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी किया हो) को इस बाबत् सूचना देकर सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक के पश्चात् नवीन उद्योग स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाईयों को उनके उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने, सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत नवीन उद्योग में शवलीकरण करने पर शवलीकरण से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों की इस नीति में घोषित अधिकतम सीमा के अधीन पात्रता होगी, यदि उक्तानुसार पैरा में अंकित निवेश तथा रोजगार संबंधी शर्तों की पूर्ति होती हो।

(दस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक 34 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*(34) **प्रतिस्थापन** से आशय है कि सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों में औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी का न्यूनतम 125% निवेश, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुसार, पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कुल रोजगार में 10% की वृद्धि होती हो तो उन्हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन होने पर स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि के 50% तक की सीमा में छूट की पात्रता होगी। इस हेतु प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों को न्यूनतम **5 वर्ष** पुराना होना चाहिये। यह भी आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात प्रतिस्थापन के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा। साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करना होगा।*

(ग्यारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*(7) "टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं **रेडिमेड गारमेंट्स व** अन्य प्रक्रिया) **(नॉन वोवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर)"।***

(बारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 16 पर नवीन बिन्दु एवं क्रमांक 16 को क्रमांक 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

क्रमांक–16 *"भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी)"*

क्रमांक–17 *"ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।"*

(तेरह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 के परिशिष्ट–6.2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान –

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प लिए जाने पर) देय होगा –

उद्यम का स्तर	*क्षेत्र की श्रेणी*	*सामान्य उद्योग*		*प्राथमिकता उद्योग*		*उच्च प्राथमिकता उद्योग*	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	*स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)*	*स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत*	*स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)*	*स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत*	*स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)*
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	*अ*	*35*	*35*	*40*	*60*	*45*	*65*
	ब	*35*	*40*	*40*	*65*	*45*	*70*
	स	*35*	*60*	*35*	*80*	*40*	*90*
	द	*45*	*70*	*40*	*90*	*45*	*100*
मध्यम उद्योग	*अ*	*30*	*60*	*35*	*70*	*40*	*80*
	ब	*35*	*70*	*40*	*80*	*45*	*90*
	स	*35*	*80*	*45*	*100*	*45*	*110*
	द	*40*	*100*	*45*	*110*	*50*	*120*

टीप –

(1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार परिशिष्ट–6.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा परिशिष्ट 6.3 अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(चौदह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 16.4 के परिशिष्ट–6.4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

"केवल पात्र नवीन उद्योगों" के स्थान पर "पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शवलीकरण" प्रतिस्थापित किया जावे।"

(पंद्रह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–4 के परिशिष्ट–6.4 में वर्णित "ब" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

***(ब) कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योग** – इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –*

1	*श्रेणी अ (परिशिष्ट–7 (अ))*	*वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट*
2	*श्रेणी ब (परिशिष्ट–7 (ब))*	*वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट*
3	*श्रेणी स (परिशिष्ट–7 (स))*	*वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट*

4	श्रेणी द (परिशिष्ट–7 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

*टीप– कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं **वेस्ट हीट रिकवरी** वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।*

(सोलह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–18 के परिशिष्ट–6.18 में वर्णित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

*औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों **(खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु)** के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 05 वर्ष तक होगी।*

(सत्रह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–19 के परिशिष्ट–6.19 में वर्णित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

"मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मेगा एवं अल्ट्रा मेगाप्रोजेक्ट्स के प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज की अनुमति प्रदान करेगी।"

*मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु **न्यूनतम पैकेज** इस नीति में उल्लेखित निवेश व पात्रता के अनुसार होगी, इससे अधिक औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु इकाईयों की मांग पर उपरोक्तानुसार कैबिनेट समिति विचार कर निर्णय लेगी।*

(अठारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–19 के परिशिष्ट–6.19 के पश्चात अनुक्रमांक–20 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे अर्थात :–

औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित तालिका में वर्णित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्र.	क्षेत्र	उच्च प्राथमिकता उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	सामान्य उद्योग
1	श्रेणी–अ (विकसित क्षेत्र परिशिष्ट–7 (अ))	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 20 प्रतिशत	निरंक
2	श्रेणी–ब (विकासशील क्षेत्र परिशिष्ट–7 (ब))	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	निरंक
3	श्रेणी–स (पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट–7 (स))	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 30 प्रतिशत
4	श्रेणी–द (अति पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट–7 (द))	भू–प्रब्याजि में 60 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू–प्रब्याजि में 40 प्रतिशत

(उन्नीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–20 के परिशिष्ट–6.20 के पश्चात अनुक्रमांक–21 को परिशिष्ट–6.21 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे अर्थात :–

राज्य के स्टार्ट–अप इकाईयों के लिए पैकेज :–

*औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक–12 के अंतर्गत राज्य में स्टार्ट–अप एकक/इकाईयों (सेवा एवं विनिर्माण) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट पैकेज तैयार किया गया है जो कि **परिशिष्ट–6.21** के रूप में निम्नानुसार है:–*

परिशिष्ट–"6.21"

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज

*अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् **"स्टार्ट अप पैकेज"** को नियमानुसार लागू करता है :–*

1. परिभाषाएं :–

स्टार्टअप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक/इकाई को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जायेगा :–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक/इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ग) यदि यह उत्पादों या प्रकियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को 'स्टार्ट अप' नहीं माना जाएगा।

2 स्पष्टीकरण :–

1. कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक होने पर "स्टार्ट अप" के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. एकक/इकाई का अर्थ है – कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत् पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।

*3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित **(भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित)** किए अनुसार मान्य होगी।*

4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा।

5. औद्योगिक नीति 2019–24 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत् स्टार्टअप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत् निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :–

1. **ब्याज अनुदान :–**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति–**
(केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत

द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

4. **विद्युत शुल्क छूट :–**

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 05 लाख।

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राषि रू 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15,000/– एवं देश के बाहर रू. 30,000/– तथा रू. 1,00,000/– प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी।

8. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू–प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट ।

9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षो के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी।

10. स्टार्टअप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

10.1 **किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले **स्टार्ट अप इकाईयों** को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

10.2 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का

किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/– प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

11. स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :–

11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर मे किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू 03 लाख प्रति वर्ष।

12. राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी।

14. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा।

15. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

16. स्टार्टअप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपर्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है।

17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

18. प्रदेश में स्टार्ट अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय–समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्ट अप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्ट अप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

20. स्टार्ट अप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का

प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके।

21. *उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।*

22. *इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्ट अप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।*

23. *इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्ट अप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो।*

24. *इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।*

25. *पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।*

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रकियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

(बीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–21 के परिशिष्ट–6.21 के पश्चात अनुक्रमांक–22 को परिशिष्ट–6.22 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे तथा कंडिका–15.4 में "अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी" को विलोपित किया जावे अर्थात :–

परिशिष्ट–"6.22"

औद्योगिक नीति 2019–24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज

औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 8 के पश्चात् अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में निम्नानुसार परिशिष्ट 9 जोड़ा जाये –

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेंगी :–

(6.22.1) ***ब्याज अनुदान*** *:– पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा : –*

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	75	20	6	75	25	7	75	30
	ब	6	75	25	7	75	30	8	75	35
	स	7	75	40	8	75	50	9	75	55
	द	8	75	45	10	75	55	11	75	60
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	75	30	5	75	40	6	75	45
	ब	6	75	35	6	75	45	7	75	50
	स	7	75	45	8	75	60	9	75	65
	द	8	75	50	10	75	65	11	75	70

(6.22.2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा–

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	40	40	45	80	45	90
	ब	40	50	45	90	45	100
	स	45	60	50	100	50	110
	द	45	70	50	110	50	120
मध्यम उद्योग	अ	35	80	40	90	40	100
	ब	40	90	45	100	45	110
	स	45	100	45	125	45	130
	द	45	120	45	130	50	140

टीप –

(1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(6.22.3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :–

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु

क्षेत्र	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप :–

(1) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिये मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

(2) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(6.22.4) विद्युत शुल्क छूट :–

पात्र **सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित)** के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण प्रकरणों में विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप– कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं **वेस्ट हीट रिकवरी** वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(6.22.5) मंडी शुल्क से छूट :–

नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/ राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट–4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6.22.6) अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत :–

इस नीति के परिशिष्ट 6.10 में यथा प्रावधानित ।

(6.22.7) परिवहन अनुदान :–

औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019–24 की समयावधि तक मिलेगी।

(6.22.8) ***परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)*** *:–*

नीति के परिशिष्ट 6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा।

टीप– *उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगे।*

(इक्कीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 की उप कंडिका क्रमांक 15.1 के अनुक्रमांक–5 परिशिष्ट–6.5 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

विभाग द्वारा जारी औद्योगिक नीति की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/6 दिनांक 31.10.2019 के परिशिष्ट–5 में वर्णित टीप की अंतिम पंक्ति " स्टाम्प शुल्क से छूट, विद्युत शुल्क छूट की पात्रता इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित अनुसार तथा दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान के मामले में उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये पात्रता होगी।

यह सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ता० —

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–01/2019/11/(6) **नवा रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020**

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ... विभाग(समस्त), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
5. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग